हो।

13/10/25

अभियोजन अधिकारी उपरी अभियुक्त मदनलाल आदि जिसकी ओर से जोरिये अधिवक्ता हाजिरी मांकी तामीला पत्र पेश हुआ को स्वीकार की। बचाव हेतु अवसर। साक्ष्य पत्रावली वास्ते बचाव अंतिम दिनांक 29/10/25 को पेश हो।

मजिस्ट्रेट